



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04092020-221556
CG-DL-E-04092020-221556

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2675]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 4, 2020/भाद्र 13, 1942

No. 2675]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 4, 2020/BHADRA 13, 1942

i ; kbj .k] ou vkj tyok; q ifjorlu e#ky;

vf/kl ipuk

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2020

dk-vk- 3007/v%—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन, पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1533 (अ) तारीख 14 सितम्बर, 2006 के अनुसरण में, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप खण्ड (ii) में का. आ. 2032 (अ) तारीख 28 जून 2017 द्वारा प्रकाशित पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:

उक्त अधिसूचना में,

- (i) पैरा 2 के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्
“ 2(क) पैरा 2 में किसी बात के होते हुए भी प्राधिकरण, गोवा के अध्यक्ष और सदस्य, 27 सितम्बर, 2020 तक की अवधि के लिए पद धारण करेंगे”;
- (ii) पैरा 8 के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्
“ 8(क) पैरा 8 में किसी बात के होते हुए भी, गोवा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ अंकन समिति (एसईएसी), के अध्यक्ष और सदस्य, 27 सितम्बर, 2020 तक की अवधि के लिए पद धारण करेंगे”;

[फा. सं. जे-11013/50/2008.आईए-II(I) (पार्ट)]

अरविंद नौटियाल, संयुक्त सचिव

fVli .k % मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप खण्ड (ii) में का.आ. 3032(अ) तारीख 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd September, 2020

S.O.3007(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 2032(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

(i) after paragraph 2, the following paragraph shall be inserted, namely:-

“2A Notwithstanding anything contained in paragraph 2, the Chairman and Members of the Authority, Goa shall hold office for a term up to the 27th September, 2020.”;

(ii) after paragraph 8, the following paragraph shall be inserted, namely:-

“8A Notwithstanding anything contained in paragraph 8, the Chairman and Members of State Expert Appraisal Committee (SEAC), Goa shall hold office for a term up to the 27th September, 2020.”.

[F. No. J-11013/50/2008-IA.II(I) (Pt.)]

ARVIND NAUTIYAL, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O.2032(E), dated the 28th June, 2017.